

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री लोकेश कुमार नायक निवासी गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 146/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-10-2025	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र दिनांक 17.02.2025 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 03.04.2025 को प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना विहित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई तथा न ही किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर इस न्यायालय को भिजवाया जाना पाया गया है। लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वह विहित समयावधि में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए वांछित सूचना से प्रार्थी को अवगत कराया जाना था, लेकिन इस प्रकार का कोई अभिलेख रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की शिथिलता उक्त अधिनियम की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है।लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन की समयावधि में प्रार्थी अपीलार्थी को वांछित प्रति निःशुल्क उपलब्ध करावें तथा भविष्य में आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का विहित समयावधि में निस्तारण की सुनिश्चितता करें।पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28-10-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। <p style="text-align: right;">(जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</p>	

